

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि० 16-5-18

फैसल दि० 16-5-18

श्री अमरभद्र सिंह पि.
किशोर सिंह
(वादी)

अनवान
बनाम

भूमिधारी
तहसीलदार सागवाडा
(प्रतिवादी)

वादी श्री ~~अमरभद्र सिंह~~ अमरभद्र सिंह / किशोर सिंह ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा वरदा के खाता नम्बर 07 ... जमाबन्दी सं० 207174
में अंकित स्वयं/पिता का नाम अमरभद्र
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम
अमरभद्र है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम
अमरभद्र दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम अमरभद्र
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।
अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया
जाता है कि मोजा वरदा की जमाबन्दी संवत् 207174 के
खाता संख्या 07 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम
अमरभद्र में संशोधन कर सही नाम
अमरभद्र दर्ज रेकार्ड किया जावे ।
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा